


10/6/26

पत्रावली भाष्य पेश हुई। प्राचीनी वकील अनुपस्थित।
शूल वाद का निस्तारण हो चुका है। शूल वाद के निस्तारण
होने से उक्त राजस्व भांडेन के अलग से चलाए
जाने का कोई आशय नहीं है अतः शूल वाद के
साथ-साथ उक्त भांडेन की इसी तरह पर धारिज
किया जाता है। पत्रावली फंडाल सुभाष होकर दारिजने उक्त
हो एवं नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन